2 \ न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 II / निगरानी / मुरैना / भू0रा0 / 2018 / 2292

1–रामप्रकाश पुत्र तुलसीराम

2–श्रीकृष्ण पुत्र तुलसीराम

जति ब्राहम्ण निवासी लालौर खुर्द हाल निवासी दत्तपुरा मुरैना म0 प्र0

..........................आवेदक

बनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय मुरैना......................अनावेदक

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, कार्यवाह द्वारा आज दि0 9-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट -4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 24 / 01 / 2018

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

मुरैना के प्र0क0 128 / 17–18 X अ 2 (59) निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम लालौर तहसील व जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 2290 / 1 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा 28093 वर्ग फीट के आवेदक भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीक्षक व्यपर्वतन शाखा के असत्य प्रतिवेदन के आधार पर विवादित भूमि को व्यवसाय प्रयोजन की मान्य कर बाजारू मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से 2,10,135 / – एवं वार्षिक भू0 रा0 का पुर्ननिर्धारण बाजारू मूल्य का 4 प्रतिशत की दर से रू0 42027 / वर्ष 14–15 से कायम कर बाजारू मूल्य का 2 प्रतिशत की दर से 2,10,135 / – रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित अबैध व मनमाने आधार पर कर दिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/मरैना/भूरा/2018/2292

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/07/.18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के प्रकरण कमांक 128/2017–18/अ–2(59) में पारित आदेश दिनांक 24.1.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी मुरैना का आदेश अंतिम आदेश है और यह आदेश अपीलीय आदेश की परधि में आता है । सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता को मूल दस्तावेज वापिस किये जावे। प्रकरण दा0 द0 हो। सदस्य	